(11) 1-7-09

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2009/आषाढ़ 10, 1931
No. 1005] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2009/ASADHA 10, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2009

का.आ. 1610(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पहुंच मार्गों सहित निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के अधीन महाराष्ट्र राज्य ग्राम केकरी, तालुक भुसावल, जिला जलगांव में 390/00 कि.मी. (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 की उक्त धारा कहा कहा गया है) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिहित पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम यातायात के परिणाम के संबंध में फेकरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चौथा तल, मधु माधव टावर, लक्ष्मीभुवन स्क्वायर, धर्मपेठ, नागपुर-440010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के उक्त खंड के लिए यांत्रिक यानों पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को 4 जुलाई, 2009 या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रियायत अवधि समाप्त होने अर्थात् 13 सितम्बर, 2021 (रियायत अवधि का अंतिम दिन) तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 का उक्त सेक्शन उपयोक्ताओं के उपयोग के लिए संग्रहीत और प्रतिधारित करने की फीस की दरें)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोटर साईकिल, स्कूटर या कोई अन्य दुपहिया यांत्रिक रूप से नोदित यान	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिक अप वैन, स्टेशन-वैगन, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तिपहिया सकूटर अथवा ट्रेलर सहित या रहित स्वाचालित अन्य हल्के यान	बस,	बिना संधियोजक के ट्रक, टैंकर और बहुधुरी यान।	ट्रक ट्रेलर, संयोजन, बहुधुरी यान जैसे भारी वाहन जिसके साथ मोबाइल क्रेन, डोजर, अर्थमूवर, रोड रोलर आधान जैस ऊपर उल्लिखित यांत्रिक नोदन यान से भिन्न संधियोजन सहित हैं।
कुछ नहीं	10 रुपए	25रुपए	30 रुपए	40 रुपए

टिप्पण :

(1) एक बार पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं.6 के उक्त सेक्शन का व्योक्ता से उल्लेखित फीस सेट प्रभावित होगा ।

(2) जब एक ही यान को एक दिन में एक से अधिक बार राष्ट्रीय राजमार्ग सं.6 के उक्त सेक्शन को पार करना हो तो उपयोक्ता को पहली बार पुल पार करते समय प्रथम फेरे का डेढ़ गुना के भुगतान का विक्लप होगा और यदि वाहन को पूरे एक मास के लिए यान मालिक प्रथम फेरे के 30 एकल दरों के बराबर फीस का भुगतान करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

(3) निम्न प्रकार के यानों को सारणी में विनिर्दिष्ट फीस से छूट दी जाती है, अर्थात् :--

(i) रक्षा वाहन ;
(ii) अतिविशिष्ट प्रतीक वाले यान ;
(iii) पुलिस यान ;
(iv) अग्निशमन यान ;
(v) एंबुलेंस ;
(vi) अंत्येष्टि यान
(vii) डाक तार विभाग यान ;
(viii) केन्द्रीय और राज्य सरकार के डयूटी यान ;
(ix) ट्रैक्टर जैसे कृषि यान जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर और खाली ट्रैलर सहित ट्रैक्टर सम्मिलित हैं ;
(x) आटोरिक्शा, तिपहिया, या आटो चालित हल्के यान बिना ट्रैलर ;

4. निम्नलिखित से संबंधित शासकीय यान जो "अति विशिष्ट व्यक्ति" प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :--

i. भारत के राष्ट्रपति ;
ii. भारत के उपराष्ट्रपति ;
iii. केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री ;

iv. केबिनेट मंत्री के स्तर पर लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडल में विपक्ष के नेता जब वे यान पर हों ;

v. राज्यों के राज्यपाल ;

vi. संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल ;

vii. केन्द्रीय और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति ;

viii. संसद् द्वारा जारी पहचानपत्र रखने वाले संसद् सदस्य ;

ix. राज्य विधानसभा या विधान परिषद द्वारा जारी राज्य में पहचान पत्र रखने वाले राज्य विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य ;

x. भारत में राज्य के दौरे पर विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, भारत में आस्थित विदेशी राजनयिक जो सीडी (राजनयिक कार) प्रतीक सहित कार का उपयोग करते हों ;

xi स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यकारी पार्षद ;

xii. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, और शौर्य पुरस्कार के विजेता जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कारों को अधिप्रमाणित करते हुए अपना पहचान पत्र रखते हों ।

5. उपरोक्त सारणी के स्तंभ (4) में दी गई दरें किसी भी भार के ऐसे सभी ट्रकों और टैंकरों पर लागू होंगी चाहे वे लदे हों या बिना लदे हों ।

6. ऊपर उल्लिखित फीस की दरें टोल प्लाजा पर स्पष्ट रूप से दर्शित की जाएंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 6 के उक्त सेक्शन के दोनों तरफ टोल प्लाजा के 200 मीटर आगे की दूरी पर भी दर्शित होंगी ।

7. रियायतग्राही या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि संदायकर्ता से संग्रहीत फीस के लिए संदायकर्ता को रसीद देंगें ।

[फा. सं. एन एच-6-12037/55/99/एमएएच]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2009

S.O. 1610(E).—In exercise of powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, for the services rendered by the Fekri Infrastructure Private Limited with registered office at 4th floor, Madhu Madhav Tower, Lakshmibhuvan Square, Dharampeth, Nagpur-440010 (hereinafter referred as Concessionaire) and having regard to expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the Surat-Dhule-Nagpur Section of National Highway No. 6 with approaches near village Fekari, Taluka Bhusawal, District Jalgaon in Km. 390/00 in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section of National Highway No. 6) interest on capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the ... Concession Agreement entered into with the Concessionaire, hereby notifies

that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section of National Highway No. 6 at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorises the Concessionaire and its authorised legal representative to collect and retain the fees on and from the 4th July, 2009 (the scheduled project completion date) or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the 13th September, 2021 (the last day of Concession Period).

SCHEDULE

(Rates of fees to be recovered from the users of the said section of National Highway No. 6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Motor Cycle, Scooter or any other two wheeler mechanically propelled vehicle	Motor Car, Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, other auto-driven light vehicle with trailer	Bus	Truck, Tankers and multi-axle vehicle without articulation	Heavy vehicle such as truck-trailer combination, multi-axle vehicle with articulation other mechanicallly propelled vehicle not mentioned above like mobile cranes dozers, earth movers, road rolers, containers
NIL	Rs. 10	Rs. 25	Rs. 30	Rs. 40

Notes :

1. The fee set forth above shall be charged from the user of the said section of National Highway No. 6 for one way trip.

2. When a vehicle has to use the said section of National Highway No. 6 more than once in a day, the user shall at his option be entitled to do so on payment of one and half times the fee for one way trip in the first trip itself and a vehicle owner shall also be entitled to a monthly pass on payment of fee equal to thirty times the fee for one way trip.

3. Following vehicles are exempted from the fee specified above, namely :-

   (i) Defence vehicles;

(ii) Vehicles with VIP symbols;

(iii) Police vehicles;

(iv) Fire fighting vehicles;

(v) Ambulances;

(vi) Funeral vans;

(vii) Post and Telegraphs Department vehicles;

(viii) Central and State Government vehicles on duty;

(ix) Agriculture vehicle like tractor including tractor trailor and tractor with empty trailor;

(x) Auto rickshaw, three wheeler scooter or auto driven light vehicle without trailor.

4. The vehicles officially relating to the following shall be deemed to be vehicles having VIP Symbols, namely:-

i. President of India;

ii. Vice-President of India;

iii. Central and State Minister;

iv. Leaders of Oppositions of Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabiner Minister while in the vehicle;

v. Governors of States;

vi. Lieutenant Governors of Union territories;

vii. Speakers or Chairmen of Central and State Legislatures;

viii. Members of Parliament possessing ID Cards issued by the Parliament;

ix. Members of Legislative Assemblies or Legislative Councils within the State possessing of I. D. cards issued by the State Legislature or the Legislative Council;

x. Foreign dignitaries on State visit to India, Foreign diplomats stationed in India using the car with CD (Car Diplomatic) symbols;

xi. Executive Councillor of local elected bodies;

xii. Winners of gallantry awards namely Paramvir Chakra, Ashok Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra possessing ID Cards authenticating the awards by the competent authority.

5. The rates given in column (4) of the above Table are applicable for all Trucks and Tankers of any weight, whether loaded or unloaded.

6. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed at the toll plazas and also at a distance of 200 meters ahead of the toll plazas on either side of the said section of National Highway No. 6.

7. The Concessionaire or its authorised legal representative shall give a receipt to the payer for the fee collected from the payer.

[F. No. NH-6-12037/55/99-MAH]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.